

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 108
उत्तर देने की तारीख 14 दिसम्बर, 2022

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सरकारी सेवाएं

*108. श्री कुलदीप राय शर्मा:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाओं/सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विभिन्न सरकारी सेवाओं के तहत लाभ के प्रावधान के लिए लाभार्थियों के सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग करते समय सरकार द्वारा क्या सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं;
- (ग) क्या अधिकांश शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल ने चेक आउट के दौरान ग्राहक का मोबाइल नंबर मांगना अनिवार्य बना दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या ऐसे मामले सामने आए हैं जब फोन नंबर और अन्य व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा सेवा प्रदान करने से इनकार किया गया है;
- (ङ) यदि हां, तो क्या ग्राहक निजता संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए अपना मोबाइल विवरण प्रदान करने से इनकार कर सकता है और फिर भी सेवाओं का लाभ उठा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार ने इसके संबंध में कोई प्रावधान या दिशा निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में “डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सरकारी सेवाएं” के बारे में दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *108 के भाग (क) से (च) के उत्तर में सदन के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनेक सरकारी सेवाएँ/सुविधाएँ उपलब्ध हैं। सरल संचार, तरंग संचार, गतिशक्ति संचार, केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर), आधार, मायगोव, डिजी लॉकर, न्यु-एज गवर्नंस के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप्लीकेशन (उमंग), ई-साइन, ओपन गवर्मेंट डेटा, एपीआई सेतु, मेरीपहचान, मायस्कीम, मोबाइल सेवा आदि कुछ ऐसे प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जो सरकारी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

(ख) उपभोक्ता को मोबाइल कनेक्शन जारी करते समय अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) संबंधी कई प्रक्रिया निर्धारित की गई है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (केवाईसी) द्वारा अपनाई और क्रियान्वित की जा रही प्रक्रियाएँ दस्तावेज़ आधारित केवाईसी, डिजिटल केवाईसी तथा आधार आधारित ईकेवाईसी हैं। प्रत्येक केवाईसी प्रक्रिया में उपभोक्ता की मौजूदगी का सत्यापन किया जाता है तथा पते के साक्ष्य (पीओए)/पहचान के साक्ष्य (पीओआई) का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जाता है।

(ग) से (च) शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अथवा मॉल में चेक आउट के दौरान ग्राहकों से अनिवार्य रूप से मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने तथा मोबाइल नंबर के उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में सेवाओं से इनकार करने का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है। दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में कोई प्रावधान अथवा दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।
